न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 33/2020 दायरा दिनांक 28.07.2020

GCMS CASE NO- 2020/00033

अमीन खां पुत्र यारे खां जाति मुसलामान साकिन ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(अपीलांट)

बनाम

1. लाल खां पुत्र श्री हाकू खां जाति मुसलामान साकिन ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ
2. जाकिर हुसैन पुत्र श्री सुलेमान जाति मुसलामान साकिन प्लाट नं. 259–बी शिवनगर–1 मुरलीपुरा जयपुर तहसील व जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज नायब तहसीलदार राजस्व राजियासर स्टेशन

(रेस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री सुभाष बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः–20.12.2023

यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ के आदेश दिनांक 06.07.2020 के अनुसरण में दर्ज इंतकाल संख्या 660 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अपीलांट व अपीलांट की बहनों द्वारा अपीलाधीन रकबा के संदर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 199, 53 आरटीए के तहत कमो सैन वगैरा बनाम सरीफ खां वगैरा में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2011 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी कर दी जिसके तहत रोही हिन्दौर के ख.नं. 101 की 6.831 है0 बारानी व ख.नं. 183/3 का 15.180 है0 कुल 22.011 है0 बारानी रकबा में रेस्पोडेंट नं. 1 के नाम 1.048 है0 बारानी रकबा दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त डिक्री का अलदरामद होने से पूर्व रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा न्यायालय अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील बअनवान लाल खां बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य प्रस्तुत की, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2019 को खारिज कर दी। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का निर्णय यथावत रहा हैं। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा जारी डिकी को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है जो आज भी प्रभावी है। उक्त डिक्री में जैरअपील रकबा यानि रोही न्दौर के ख.नं. 101 व 183/3 में रेस्पोडेंट सं. 1 1.048 है0 रकबा का ही खातेदार जबकि अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा 3.616 है0 रकबा बैचान कर बैयनामा का इंतकाल दर्ज करवाया है। अतः मातहत न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री की पालना न कर बैयनामा का इंतकाल स्वीकृत किया, जो कतई गलत एवं गैरकानूनी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन का आदेश दिनांक 06.07.2020 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद पर्याप्त सूचना अनुपस्थित रहे। पैरोकार राज उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2020 जिसकी रूह से ग्राम हिन्दौर का इंतकाल संख्या 660 स्वीकृत हुआ है जिसमें प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि प्रार्थी व प्रार्थी की बहनों द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के यहां कम्मोसैन वगैरा बनाम सरीफ खां वगैरा प्रस्तुत करने पर दिनांक 13.12.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री जारी कर दी जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के यहां पेश करने पर खारिज हो चुकी है। इस प्रकार जारी डिक्री आज भी प्रभावी है। उक्त डिक्री में जैर अपील रकबा [illegible] हिन्दौर के खसरा नं. 101 व 183/3 में अप्रार्थी सं. 1 का 1.048 है0 रकबा का ही खातेदार है ज[illegible] अपील[illegible] आदेश में अप्रार्थी लाल खां द्वारा 3.616 है0 रकबा बैचान कर बैयनामा का इंतकाल [illegible] के समस्त काश्तकारों का हित प्रभावित हुआ है। अतः अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान कर [illegible] को हितबद्ध पक्षकार मानकर न्यायहित में गुण दोषों पर सुना जाये।

पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का [illegible] कोई जवाब पेश किया तथा [illegible] वकील अपीलांट के शपथ पत्र के खण्डन में कोई प्रतिशपथ पत्र पेश किया है। पैरोकार राज द्वारा दौराने बहस भी कोई मौखिक आपत्ति जाहिर नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:18:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा ना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया है। अपील अपीलांट अनुसार जैर अपील रकबा में अपीलांट के हित निहित है, इसलिए अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील पेश करने का कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीगों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व अपीलांट की बहनों द्वारा अपीलाधीन रकबा के संदर्भ में एक वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में अन्तर्गत धारा 88, 199, 53 आरटीए के तहत कमो सैन वगैरा बनाम सरीफ खां वगैरा प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 104/2008 दर्ज हुआ माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2011 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी कर दी जिसके तहत रोही हिन्दौर के ख.नं. 101 की 6.831 है0 बारानी व ख.नं. 183/3 का 15.180 है0 कुल 22.011 है0 बारानी रकबा में रेस्पोडेंट नं. 1 के नाम 1.048 है0 बारानी रकबा दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त डिक्री का अमलदरामद होने से पूर्व रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा माननीय न्यायालय अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में एक अपील बअनवान लाल खां बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य अपील संख्या 44/2012 प्रस्तुत की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2019 को अपील अपीलांट खारिज कर दी इस प्रकार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का निर्णय यथावत रहा हैं। उक्त निर्णय की पालना बाबत अपीलांट द्वारा दिनांक 11.10.2019 को तहसीलदार सूरतगढ के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 14.10.2019 को पटवारी हल्का राजियासर स्टेशन को उक्त प्रकरण की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.01.2020 को प्रस्तुत की जिसमें लिखा कि जमाबंदी सम्वत 2059–2062 खाता संख्या 37/37 में 22.011 है0 बारानी दोयम भूमि है व जमाबंदी सम्वत 2067–2070 में 21.695 है0 भूमि दर्ज है, इस प्रकार रकबा व खसरा में भिन्ता है उचित मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे स्पष्ट जाहिर है कि पटवारी हल्का को उक्त डिक्री का इल्म था। पटवारी हल्का द्वारा जानबूझकर अपीलाधीन आदेश के इंतकाल संख्या 660 के कॉलम संख्या 14 में लिखा कि विवाद स्थगन नहीं है एवं आई एल आर राजियासर स्टेशन द्वारा दिनांक 03..07.2020 को लिखा कि मिलान किया गया अंकन सही है जबकि पूर्व मे जारी डिक्री का कोई अंकन व टिप्पणी नहीं की। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा जारी डिक्री को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है जो आज भी प्रभावी है लेकिन मातहत न्यायालय द्वार उक्त डिक्री की पालना न कर बैयनामा का इंतकाल स्वीकृत किया, जो कतई गलत एवं गैरकानूनी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 06.07.2020 खारिज किया जावे।

सरकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील इंतकाल नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए ही स्वीकृत किये गये है। अपीलांट की यह अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन व चिंतन किया एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 104/2008 में दिनांक 13.12.2011 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जिसके तहत रोही हिन्दौर के ख.नं. 101 की 6.831 है0 बारानी व ख.नं. 183/3 का 15.180 है0 कुल 22.011 है0 बारानी रकबा में रेस्पोडेंट नं. 1 के नाम 1.048 है0 बारानी रकबा दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त डिक्री में जैरअपील रकबा यानि रोही हिन्दौर के ख.नं. 101 व 183/3 में रेस्पोडेंट सं. 1 1.048 है0 रकबा का ही खातेदार है। उक्त डिक्री अपील न्यायालय अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.09.2019 को खारिज कर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 13.12.2011 यथावत रखा। उक्त निर्णय की पालना हेतु अपीलांट द्वारा दिनांक 11.10.2019 को न्यायालय तहसीलदार, सूरतगढ़ में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का राजियासर स्टेशन द्वारा रिपोर्ट दिनांक 14.01.2020 पेश कर वर्तमान जमाबंदी संवत 2067–70 व राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.09.2019 में रकबा व खसरे में भिन्नता होने से मार्गदर्शन चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानकारी के बावजूद उक्त डिक्री की पालना न कर बाद में हुये बैयनामा का इंतकाल स्वीकृत किया, जो त्रुटिपूर्ण है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.07.2020 द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 660 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:18:14 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner